C:\Users\dell\Dropbox\PMMVY 2018-19\PMMVY Lett. 18-19..docx

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक :F 26(4)( )/PMMVY/ICDS/2017/ 68068-405 दिनांक : 26.4.18

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त

विषयः— प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना की प्रगति की दैनिक समीक्षा तथा फीडिंग में सुधार हेतु आवश्यक निर्देशों के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि योजना के तहत फार्म आशा अनुरूप फीडिंग नहीं हो पा रही है। फीड किए गए फार्म में आधार नम्बर तथा बैंक खाते से संबंधित त्रुटियों के कारण फार्म संशोधन की सूची के साथ—साथ परियोजना स्तर पर फार्म अनुमोदन में लंबा समय लग रहा है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना का मुख्य उद्देश्य माताओं का पोषण, पर्याप्त आराम, स्वास्थ्य की आदतों को प्रोत्साहित करना है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाये कि योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसकी जिला तथा परियोजना स्तर पर दैनिक समीक्षा की जाये तथा निम्नानुसार निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाए :—

1. इस योजना के अधिकांश जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। अतः आप जिला स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारियों के साथ तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला पर्यवेक्षकों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ दैनिक समीक्षा की जाये। जिसके लिए निम्न प्रारूप में मॉनिटरिंग की जा सकती है:—

परियोजना / सेक्टर का नाम	टारगेट लाभार्थी संख्या	पंजीकृत लाभार्थी	कुल प्राप्त आवेदन	कुल फीडिंग फार्म	CDPO (SO) के पास अनुमोदन हेतु लंबित फार्म	करेक्शन हेतु लंबित फार्म की संख्या	कुल भुगतान किए गए फार्म्स की संख्या	परियोजना में अभी तक फीडिंग के लिए लंबित फार्म

2. सभी गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण हो तथा पहली एएनसी जल्द से जल्द करायी जाये, जिससे पहली व दूसरी किश्त का समय पर भुगतान हो सकें।
3. फार्म ए, बी, व सी को भरते समय उनके बैंक खाते/पोस्ट ऑफिस का विवरण तथा आधार नम्बर सही भरा जाये।
4. गर्भवती महिला का पंजीकरण करते समय सुनिश्चित किया जाये कि PMMVY में पंजीकृत सभी महिला का पीसीटीएस में भी पंजीकरण सुनिश्चित करावें।
5. भारत सरकार ने PMMVY-CAS में LMP के 730 दिन में आवेदन प्राप्त करने के लिए समय—सीमा में छूट केवल सीमित समय के लिए दी है। यह छूट केवल 1 अप्रेल, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 के मध्य LMP के लिए है। अतः इस समय की LMP वाली गर्भवती महिलाओं के आवेदन प्राथमिकता से भरना सुनिश्चित करावें।

6. समस्त महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से प्राप्त फार्म को सत्यापन करके 2–3 दिवस में ही बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। फार्म बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज तथा सभी अनिवार्य विवरण सही भरे गए है।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला पर्यवेक्षक से प्राप्त होने वाले फार्म को उसी दिन PMMVY-CAS में ऑनलाईन फीडिंग करना सुनिश्चित करें तथा यदि कोई फार्म करेक्शन के लिए PMMVY-CAS में वापस आता है तो उसे उसी दिन करेक्शन करके PMMVY-CAS में फीड करें।
8. सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रतिदिन 3 बार (सुबह, दोपहर व शाम) को PMMVY-CAS में अपनी लॉगिन आईडी को खोले तथा लंबित आवेदन को अनुमोदन/निस्तारण करावें।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना की प्रगति की जिला व परियोजनावार समीक्षा प्रमुख शासन सचिव महोदया, मबावि की अध्यक्षता में वी.सी. दिनांक 03 मई, 2018 को दोपहर 2.00 से 3.30 बजे तक आयोजित की जायेगी। जिसमें जिला स्तर से उपनिदेशक व परियोजना स्तर से समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी व महिला पर्यवेक्षक भाग लेगी।

(बिन्दु करूणाकर)
राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)

क्रमांक :F 26(4)( )/PMMVY/ICDS/2017/ 68406 दिनांक : 26.4.18

1. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(सोमेश्वर देवड़ा)
सहायक प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
सहायक निदेशक (आईईसी)
समेकित बाल विकास सेवाऍ,
राजस्थान जयपुर